



Neutral Citation No. – 2026:AHC:167994

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या – 27853 वर्ष 2026

प्रकाश चंद्र

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिपक्ष

आवेदक की ओर से अधिवक्ता

: राजीव कुमार मिश्रा, संदीप सिंह

प्रतिपक्ष की ओर से अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या – 55

माननीय न्यायमूर्ति विक्रम डी. चौहान

1. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि निर्देश प्राप्त हो गए हैं और यदि जमानत आवेदन पर गुण-दोष के आधार पर सुनवाई की जाती है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया कि आवेदक उपनिरीक्षक है और यह आरोप है कि उसने शिकायतकर्ता से 50,000/- रुपये की मांग की थी, जिसे मामले में अभियुक्त को लाभ पहुंचाने के लिए बातचीत के बाद 20,000/- रुपये कर दिया गया। तत्पश्चात एक ट्रैप टीम गठित की गई और आवेदक को 20,000/- रुपये के साथ गिरफ्तार किया गया। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत अधिकतम सात वर्ष के कारावास का दंड निर्धारित है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक दिनांक 30.06.2026 से जेल में निरुद्ध है और यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा तथा विचारण में सहयोग करेगा।

4. राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया, किंतु मामले के तथ्यात्मक परिदृश्य का खंडन नहीं किया।

5. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने ऐसा कोई तथ्य अथवा परिस्थिति प्रस्तुत नहीं की, जिससे आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास अथवा पूर्ववृत्त प्रदर्शित हो, जो आवेदक को जमानत प्राप्त करने से वंचित करता हो।

6. यह राज्य का मामला नहीं है कि आवेदक ने जांच अथवा विचारण न्यायालय के समक्ष कार्यवाही में सहयोग नहीं किया है।

7. यह सिद्धांत कि जमानत नियम है और जेल अपवाद, उच्चतम न्यायालय द्वारा, विशेष रूप से संविधान के अनुच्छेद 21 की कसौटी पर, भली-भांति मान्यता प्राप्त है। उक्त सिद्धांत को उच्चतम न्यायालय द्वारा **सतेन्द्र कुमार अंतिल बनाम सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एवं अन्य, 2022 (10) एससीसी 51** के मामले में पुनः दोहराया गया

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



है। विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने ऐसी कोई असाधारण परिस्थिति नहीं दर्शाई है, जो आवेदक को जमानत देने से इनकार करने को उचित ठहराती हो।

8. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा ऐसा कोई तथ्य, सामग्री अथवा परिस्थिति नहीं दर्शाई गई है जिससे यह संकेत मिले कि अभियुक्त साक्ष्य अथवा गवाहों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है, अथवा अभियुक्त का चरित्र ऐसा है कि खुले में उसकी मात्र उपस्थिति से गवाह भयभीत होंगे, अथवा अभियुक्त अपनी स्वतंत्रता का उपयोग न्याय के मार्ग को विफल करने या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करने के लिए करेगा।

9. यह विधि का स्थापित सिद्धांत है कि जमानत का उद्देश्य विचारण के दौरान अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित करना है। आवेदक के न्याय से फरार होने अथवा न्याय की प्रक्रिया में बाधा डालने अथवा अपराध की पुनरावृत्ति या गवाहों को धमकाने जैसी अन्य परेशानियां उत्पन्न करने का संकेत देने वाले कोई ठोस तथ्य अथवा परिस्थितियां राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई हैं।

10. राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने ऐसी कोई सामग्री अथवा परिस्थिति नहीं दर्शाई है, जिससे यह सिद्ध हो कि व्यापक जनहित अथवा राज्यहित में अभियुक्त/आवेदक जमानत का अधिकारी नहीं है।

11. मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों, अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की संलिप्तता, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार करते हुए तथा मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, न्यायालय का मत है कि आवेदक ने जमानत के लिए मामला बनाया है। जमानत आवेदन स्वीकृत किया जाता है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



12. आवेदक **प्रकाश चंद्र**, जो मुकदमा अपराध संख्या 163 वर्ष 2026 (परिवर्तित होकर 19 वर्ष 2026), भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 यथा संशोधन अधिनियम, 2018 की धारा 7, थाना सिविल लाइंस, जो परिवर्तित होकर थाना एसीओ (भ्रष्टाचार निरोधक कार्यालय), जनपद मेरठ हुआ, में संलिप्त है, को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए समान धनराशि के व्यक्तिगत बंधपत्र एवं दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:—

- (i) आवेदक विचारण के दौरान साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
- (ii) आवेदक अभियोजन के गवाह पर दबाव नहीं डालेगा अथवा उसे भयभीत नहीं करेगा।
- (iii) आवेदक नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा, जब तक कि व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट प्रदान न की गई हो और/अथवा जब भी आवश्यक हो, पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ के लिए स्वयं को उपलब्ध कराएगा।
- (iv) आवेदक ऐसा कोई अपराध नहीं करेगा, जो उस अपराध के समान हो, जिसके किए जाने का उस पर आरोप है अथवा जिसके किए जाने का उस पर संदेह है।
- (v) आवेदक प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी अथवा वादा नहीं करेगा, जिससे उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख किया जा सके अथवा साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।
- (vi) आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत से बाहर नहीं जाएगा।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



(vii) यदि आवेदक अपना आवासीय पता बदलता है, तो आवेदक संबंधित न्यायालय को नए आवासीय पते की लिखित सूचना देगा।

13. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में अभियोजन को इस न्यायालय के समक्ष जमानत निरस्तीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होगी।

(न्यायमूर्ति विक्रम डी. चौहान)

11 अगस्त, 2026

भास्कर

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”